ऐसे निलंबित हुए फरीदाबाद के रजिस्ट्रार सोसायटीज

बहुत दिलचस्प है सस्पेंड होने की कहानी, हरियाणा ट्रेडफेयर अथॉरिटी की पोस्ट को लेकर बढ़ा विवाद

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः हरियाणा सरकार ने 7 जून को जिला रजिस्ट्रार फरीदाबाद कोआपरेटिव सोसायटीज आई.एस. यादव को निलंबित कर दिया। यादव के पास गुड़गांव और नूंह का भी चार्ज था। इन तीनों ही जिलों में वो ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के पद पर भी थे। इसके अलावा वो ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा के जीएम थे, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। इन सभी पदों से उन्हें सरकार ने निलंबित किया है। फरीदाबाद और गुड़गांव में रजिस्ट्रार सोसायटीज का पद विवादास्पद होता जा रहा है। आई.एस. यादव से पहले अनिल यादव इस पद पर थे, उन्हें मंत्री मूलचंद शर्मा का फोन न सुनने और फोन काट देने पर निलंबित किया गया था।

निलम्बन की वजह

जिला रजिस्ट्रार ईश्वर सिंह यादव के निलम्बन के पीछे असली वजह आपको बाद में बताएंगे लेकिन उससे पहले जानिए कि निलम्बन किस आधार पर हुआ और अंत में सारी कहानी जुड़ जाएगी। दरअसल, जब आई.एस. यादव गुड़गांव के रजिस्ट्रार थे तो उस समय 6 सोसायटीज के निवासियों ने अपनी-अपनी सोसायटीज की आरडब्ल्यूए और शॉप एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत की थी। लेकिन आरोप है कि रजिस्ट्रार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर यह शिकायत चंडीगढ़ पहुंची। वहां से डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने जांच कराई। इसी बीच फरीदाबाद में श्रीराम धर्मार्थ चैरिटेबल सोसायटी का विवाद भी शुरू हो गया। इस मामले में यादव ने सोसायटी में प्रशासक नियुक्त करने का विवादास्पद फैसला लिया, उस प्रशासक ने सोसायटी में दोनों पक्षों को सुने बिना, एक ही पक्ष के कहने पर फैसले लेने शुरू कर दिए। यह शिकायत भी चंडीगढ़ पहुंची। रजिस्ट्रार मुख्यालय चंडीगढ़ में इसी सोसायटी का विवाद अलग से चल रहा है। आई. एस. यादव को जिस दिन निलंबित किया गया, उन्होंने जाते-जाते 7 जून को विवादास्पद निर्णय लिया। 8 जून से उस प्रशासक का कार्यकाल खत्म हो रहा था लेकिन यादव ने 7 जून को उसका कार्यकाल फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया, जबकि वो 7 जून को निलंबित हो चुके थे।

असली कहानी कुछ और भी है

फरीदाबाद में जो भी जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज और ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज होता है, उसी के पास ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा (दिल्ली मुख्यालय) के जीएम का पद भी होता है। क्या आप जानते हैं कि निलंबन से पहले आई.एस. यादव के अलावा अनिल कुमार चौधरी भी ट्रेड फेयर के जीएम थे। हरियाणा ट्रेड फेयर के इतिहास

आई.एस. यादव

में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पद पर दो लोग कब्जा करके बैठे हों। आई.एस. यादव के निलंबन के पीछे अनिल चौधरी से उनकी रस्साकशी भी एक वजह थी।

अनिल कुमार चौधरी फरीदाबाद के जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज रहे थे। इसके बाद वो रिटायर हो गए। लेकिन विभाग से उन्हें एक्सटेंशन मिलता रहा। इसी दौरान उनकी रिटायरमेंट पेंशन भी शुरू हो गई। दरअसल, जो भी शख्स ट्रेड फेयर का जीएम होता है, वह हरियाणा की पावरफुल लॉबी के साथ होता है। दिल्ली हरियाणा भवन में बैठने वाला रेजिडेंट कमिश्नर ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा का मुख्य प्रशासक होता है तो दूसरी तरफ रेजिडेंट कमिश्नर सीधे चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा होता है। यह एक पूरी चेन है, जो इस चेन को समझ गया, वो फिर पावरफुल लॉबी में सीधे पैठ बना लेता है। अनिल चौधरी ने इस चेन को समझा और हरियाणा भवन में बैठने वाली रेजिडेंट कमिश्नर जी. अनुपमा को हमेशा अपने पक्ष में रखा। जी. अनुपमा की वजह से चीफ सेक्रेटरी की लिस्ट में भी अनिल चौधरी शामिल हो गए। ट्रेड फेयर के सभी टेंडर और हर काम अनिल चौधरी रेजिडेंट कमिश्नर जी. अनुपमा से पूछकर ही करते हैं। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गठबंधन का मतलब क्या है।

इसी दौरान जब आई.एस. यादव फरीदाबाद में जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज बने तो वह दिल्ली ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा के दफ्तर में अनिल कुमार चौधरी से जीएम का चार्ज लेने जा पहुंचे। अनिल चौधरी ने यादव को चार्ज देना तो दूर दफ्तर में बैठने तक के लिए नहीं कहा। चार्ज नहीं मिलने पर यादव लौट आए और कुछ दिन बाद चंडीगढ़ से अपने विभाग से जीएम पद की नियुक्ति का पत्र लेकर अनिल चौधरी के पास पहुंचे। विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा था कि जो भी अधिकारी रजिस्ट्रार सोसायटीज फरीदाबाद होता है, वही शख्स ट्रेड फेयर का जीएम भी होता है। यादव ने अनिल चौधरी को जब पत्र थमाया तो उन्होंने पत्र फेंकते हुए कहा कि उन्हें इस सीट से कोई भी एक साल से पहले नहीं हटा सकता।

चंडीगढ़ में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आला अफसरों ने आई. एस. यादव को समझाया कि अनिल चौधरी के पक्ष में रेजिडेंट कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हैं। इसलिए वह अक्टूबर 2021 तक शांत हो जाएं। अनिल का कार्यकाल खत्म होगा तब उन्हें बाकायदा जीएम ज्वाइन करा दिया जाएगा। इस तरह अभी तक ट्रेड फेयर में दो-दो जीएम काम कर रहे थे लेकिन सही मायने में अनिल चौधरी की ही चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि यादव भविष्य में ट्रेड फेयर अथॉरिटी का जीएम नहीं बन सके, इसलिए गुड़गांव की कुछ सोसायटीज में जाल बिछाकर यादव के खिलाफ शिकायत कराई गई और जांच में आरोप सिद्ध कर निलंबित करने की साजिश की गई।

टूट रहे हैं नियम, किसे परवाह

हरियाणा में इस वक्त सरकार में तमाम अफसर अजीबोगरीब ढंग से प्रशासन चला रहे हैं। इसका जीता जागता नमूना ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा है। जीएम अनिल कुमार चौधरी एक तरफ तो जीएम की मोटी सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं ले ही रहे हैं, इसके अलावा वो पेंशन भी ले रहे हैं। यह नियम विरुद्ध है। खासतौर पर ट्रेड फेयर अथॉरिटी और हरियाणा सर्विस रूल्स के हिसाब से भी गलत है। इतना ही नहीं बताया जाता है कि अनिल कुमार चौधरी फरीदाबाद और गुड़गांव की दो सोसायटीज में प्रशासक हैं, जिसकी बाकायदा उन्हें सैलरी और अन्य भत्ते मिलते हैं। यह भी नियम विरुद्ध है। लेकिन हरियाणा सरकार के आला अफसरों को इस तरफ देखने की फुरसत ही नहीं है। जाहिर है कि जरूर ऐसे लोगों का नेक्सस काम कर रहा है जो भ्रष्टाचार की आड़ में एक दूसरे का काम चला रहे हैं। अनिल कुमार चौधरी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उनकी जिन्दगी से जुड़ी तमाम कहानियां और संपत्तियां यहां बिखरी हुई हैं। विजिलेंस जांच से ही इसका पर्दाफाश हो सकता है।

और अनिल यादव क्यों हुए थे सस्पेंड

आई.एस. यादव से पहले अनिल यादव फरीदाबाद जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज थे। लेकिन वो नियम कानून के इतने सख्त थे कि उन्होंने स्थानीय मंत्री मूलचंद शर्मा से पंगा ले लिया था। सूत्रों ने बताया कि बल्लभगढ़ के एक मंदिर की कमेटी में अपना मनचाहा प्रशासक लगवाने के लिए मंत्री मूलचंद शर्मा ने तत्कालीन रजिस्ट्रार सोसायटीज अनिल यादव से फेवर मांगा।

अनिल यादव ने मंत्री को कोई सहयोग नहीं दिया। इसके बाद मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें फोन किया तो उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद मूलचंद शर्मा सीधे चंडीगढ़ गए और उद्योग मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से अपना दुखड़ा सुनाया। चंडीगढ़ के सूत्रों का कहना है कि इसके बाद दुष्यंत के दफ्तर से अनिल यादव को फोन लगाया गया कि मंत्री मूलचंद शर्मा बात करेंगे। इतना सुनते ही अनिल यादव ने फोन काट दिया। इसके बाद तो दुष्यंत ने उसी वक्त अनिल यादव के निलंबन का आदेश थमाया और उसी दिन उन्हें फरीदाबाद से चलता कर दिया गया। इस तरह फरीदाबाद में रजिस्ट्रार सोसायटीज का पद लगातार विवादों के घेरे में आ रहा है।

इसके बाद अनिल यादव पलवल और नूंह के भी रजिस्ट्रार बने लेकिन वहां उनकी डीसी से खटपट हो गई। वहां भी उन पर कार्रवाई हुई।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटी में दुकानों का घपला, डीटीपी ने आंखें बंद की

केंद्रीय मंत्री की अमोलिक सोसायटी ने पूरी बाउंड्री वॉल ही तोड़ दी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः ग्रेटर फरीदाबाद की तमाम सोसायटीज में खुली व्यावसायिक दुकानों और मार्केट को लेकर तमाम तरह की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। राजनीतिक संरक्षण की वजह से सरकारी एजेंसियां सूचना देने और कार्रवाई करने से बच रही हैं। एक तरफ तो यह हाल है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके तहत हजारों गरीब बेघर होने जा रहे हैं।

अमोलिक ने तोड़ दी दीवारें

ग्रेटर फरीदाबाद में अमोलिक हाइट्स सोसायटी में पूरी मार्केट है। इन्हें इस ढंग से बनाया गया था कि इनका मुंह मुख्य खेड़ी रोड की तरफ हो। जब तक सोसायटी का निर्माण चलता रहा तब तक पूरी सोसायटी चारों तरफ से दीवार से घिरी रही। लेकिन जैसे ही सोसायटी में फ्लैट बिक गए और मार्केट भी शुरू हो गई तो खेड़ी रोड पर बनी सोसायटी की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस तरह इस सोसायटी की मार्केट न सिर्फ

सोसायटी वालों के लिए बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी खुल गई। आमतौर पर सोसायटी में रहने वाले अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं। बाउंड्री वॉल टूटने से अमोलिक सोसायटी के लोग सहम गए, क्योंकि मेन रोड से बहुत सारे लोगों का सोसायटी की मार्केट में आना-जाना शुरू हो गया। हालांकि सोसायटी के गार्डों ने अमोलिक में रह रहे लोगों को आश्वस्त किया कि ये मंत्री जी की सोसायटी है, यहां बाहर से आकर कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा।

अमोलिक ने जब बाउंड्री वॉल तोड़ी तो बगल की सोसायटी केटीएस ने भी यही हरकत की। उस सोसायटी की दुकानें भी अब जनता के लिए खुल गईं।

अमोलिक सोसायटी का संबंध केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर से है। पिछले दिनों जब अमोलिक-2 का भूमि पूजन हुआ था तो वहां नारियल फोड़ने केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। वहां उन्होंने उस समय मीडिया से बात भी की थी कि अमोलिक-1 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अमोलिक-2 शुरू किया जा रहा है।

डीटीपी दफ्तर की बदमाशी

जिला योजनाकार (डीटीपी) फरीदाबाद के दोनों दफ्तर सोसायटी में बनी दुकानों को लेकर जबरदस्त धांधली कर रहे हैं। इस संबंध में डीटीपी (प्लानिंग) रेणुका सिंह से बुधवार को जानकारी मांगी गई तो उनका कहना था कि ये मामले डीटीपी (एनफोर्समेंट) से जुड़े हैं, इसलिए उनसे बात की जाए। लेकिन रेणुका सिंह इस बात पर जोर देती रहीं कि अमोलिक या अन्य सोसायटी ने बाउंड्री वॉल तोड़कर कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका कहना था कि अगर बाहर के लोग इन दुकानों से खरीदारी करेंगे तो इसमें क्या हर्ज है। यह तो एक तरह की सुविधा है, कोई भी लाभ उठा सकता है।

डीटीपी रेणुका सिंह से मिलने के बाद यह संवाददाता जब डीटीपी एनफोर्समेंट के दफ्तर पहुंचा तो दिन में तीन बजे डीटीपी राजेन्द्र शर्मा लंच के नाम पर गायब थे। पूरा दफ्तर इधर-उधर अपनी गप्पबाजी में व्यस्त था। डीटीपी प्लानिंग हूडा दफ्तर में बैठती हैं और डीटीपी एनफोर्समेंट का दफ्तर एसआरएस मॉल के पास है यानी दोनों दफ्तरों में काफी दूरी है। लेकिन जब यह संवाददाता वहां पहुंचा तो उसने देखा कि डीटीपी प्लानिंग का एक कर्मचारी वहां घूम रहा था। जब उससे पूछा गया कि वो यहां कैसे आया है तो उसने बताया कि वो डाक लेकर आया है। लेकिन अंदर जाने पर डीटीपी एनफोर्समेंट राजेंद्र शर्मा अपनी सीट से गायब थे। उनके स्टाफ ने बताया कि साहब लंच कर रहे हैं। इस संवाददाता ने करीब 30 मिनट राजेंद्र शर्मा का इंतजार किया लेकिन वो वापस नहीं लौटे। उस समय दिन के तीन बज रहे थे।

अवैध टावर कैसे बन गए

ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटीज को तमाम शर्तों के साथ फ्लैट बनाने का लाइसेंस जारी किया गया था। जिनमें सबसे प्रमुख शर्त पार्किंग, डिस्पेंसरी है लेकिन तमाम सोसायटीज में पार्किंग और डिस्पेंसरी वाली जगह को खुर्दबुर्द कर टावर खड़े कर दिए गए हैं। इस संबंध में भी डीटीपी प्लानिंग रेणुका सिंह से पूछा गया था तो उनका दावे के साथ कहना था कि ग्रेटर फरीदाबाद की किसी सोसायटी में ऐसा कोई टावर खड़ा नहीं किया गया है। सभी सोसायटी अच्छे ढंग से बनी हुई हैं। लेकिन लगता है कि डीटीपी प्लानिंग को ओमेक्स, आरपीएस, पुरी, केटीएस, अमोलिक, आगमन आदि सोसायटियों में जाने की फुरसत नहीं है, जहां नियम तोड़कर तमाम तरह के निर्माण किए जा रहे हैं और किए गए हैं। इस संवाददाता ने अमोलिक और बगल की सोसायटी के बीच खाली पड़ी जमीन पर अवैध दुकानें खुद बनती देखीं लेकिन डीटीपी की नजर में यह नियम विरुद्ध नहीं है।